न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 81/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. करनाराम पुत्र रावताराम 2. कुभाराम पुत्र रावताराम 3. कोजीदेवी पत्नि रावताराम 4. चेतनराम पुत्र रावताराम 5. क़ेहनाराम, पुत्र रूपाराम जातियान जाट निवासी लूणांकला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. खीयाराम पुत्र गुलाराम 2. खंगाराराम पुत्र कुभाराम जाति जाट 3. भगवानाराम पुत्र कुभाराम जाति जाट निवासी लूणाकलां 4. भूमिपति तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जोगराज पोटलिया, वकील विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अनुपस्थित।
4. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 103 रकबा 20.1765 हैक्टेयर ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थी स. 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 85/1 रकबा 2.2328

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हैक्टेयर मौजा लूणाकला पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में से सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 103 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से वंचित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर ख्याई का है बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी खसरा संख्या 103 रकबा 20.1765 हैक्टेयर ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा से सड़क मार्ग तक जोने हेतु विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा संख्या 85/1 रकबा 2.2328 हैक्टेयर मौजा लूणाकला पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 ओर से जवाब पेश किया गया । विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब के तथ्यों में अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खसरा संख्या 103 ग्राम लूणा कलाको जोड़ने के [illegible] हेतु उपरोक्त अनुवान का आवेदन मुझ विप्रार्थी के विरूद्ध मनगढ़त तथ्यों के [illegible] विधि विरूद्ध तरीके से पेश किया है। कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत में जाने हेतु मुझ विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 85/1 ग्राम लूणा कला तहसील सिणधरी से रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थी के खेत को सड़क से जोड़ने सबसे निकटत विकल्प संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

83 ग्राम लूणा कला मे से होकर उपलब्ध है. जो सबसे निकटत्त विकल्प है जिससे प्रार्थी वक्त सेंटलमेंट से दर्ज रास्ता से जोड़ रहा है। जो प्रथम दृष्टया मात्र राजस्व नक्शे के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रार्थी का खेत सबसे निकटतम खसरा संख्या 83 से सड़क से जोड़ा जा सकता है। जब निकटतम दूरी पर विकल्प उपलब्ध है तब मुझ विप्रार्थी के खेत से अधिकतम दूरी पर रास्ता कानूनन नही दिया जा सकता है। विधि के प्रावधान के अनुसार धारा 251 (क) रा.का.अधि के प्रावधाना के अनुसार प्रार्थी को निकटतम दूरी पर उपलब्ध सड़क से ही रास्ता दिया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन मुझ विप्रार्थी संख्या 1 खीयाराम के विरूद्ध विधि द्वारा पोषणीय नही होने से खारिज फरमाया जावे।

4.उभयपक्ष के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मौके की तथ्यात्मक एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से पुनः तलब की गई।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि थी कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 103 रकबा 20.1765 हैक्टेयर ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आंने जाने हेतु विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 85/1 रकबा 2.2328 हैक्टेयर मौजा लूणाकला पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 103 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है और मौके पर [illegible] से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। परन्तु प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्यों पर विप्रार्थी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय हाजा द्वारा पुनः तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटमत रूप से प्रस्तावित नवीन खसरा नम्बर 85 व 80 में रास्ते दिये जाने की तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा करते हुए रिपोर्ट भिजवाई गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पुनः प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आवेदन की इस्तदुआ में आशिंक परिवर्तन होने से खसरा नम्बर 85 व 80 के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार (विप्रार्थी सं. 2 व 3) संयोजित करते हुए न्यायालय आदेश की पालना में संबंधित की जरिये नोटिस तलबी की गई। चूंकि आवेदन में विप्रार्थी सं. 2 व 3 की तरफ से वकील द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु उनके द्वारा अपनी ओर से वस्तुस्थिति की जानकारी एवं मौका रिपोर्ट पर अवसर चाहने तथा अदालत द्वारा असवर दिये जाने के बाद भी आज उपस्थित नहीं हुए। जहां तक प्रार्थीगण को आवागमन की अत्यन्त आवश्यकता होने से आवेदन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार पुनः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए डामर सड़क मार्ग तक इसी अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने सिफारिश की गई है। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 2 से 3 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है। जहां तक विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अपनी बहस के तथ्यों में प्रार्थीगण के आवेदन की इस्तदुआ पर तहसीलदार सिणधरी से पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कम दूरी का नया मार्ग दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। जहां तक विप्रार्थी सं. 2 व 3 के अनुपस्थित रहने अथवा उन्हे वाद में सुने जाने का प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकता की महत्वता को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा उभयपक्ष के रूबरू तैयार कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह भली-भांति प्रमाणित है कि प्रार्थीगण को नियमानुसार रास्ता दिया जाना आवश्यक है तथा उसमें भी राजस्व मण्डल द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुसार ही विधिवत कार्रवाई जैरकार है, ऐसी सूरत में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित रास्तें का मौका मुआयना पक्षकार एवं मौतबरान की उपस्थिति में मौका जांच कार्यवाही की गई। जो मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 85 रकबा 1.2620 हैक्टेयर व 80 रकबा 0.8575 मौजा लूणाकलां तहसील सिणधरी प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सडक के पास राशि–3,27,488/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौजा लूणाकलां पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 85 क्षेत्रफल 1.2620 हैक्टयर में लम्बाई 08 गट्टा व चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.01 बीघा अर्थात् 0.0081 हैक्टयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.8575 हैक्टेयर में से लम्बाई 37 गट्टा व चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.05 बीघा अर्थात् 0.0405 हैक्टेयर की राशि–31800/–विप्रार्थी संख्या 2 से 3 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लूणाकलां पटवार क्षेत्र पायला खुर्द, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 85 क्षेत्रफल 1.2620 हैक्टयर में लम्बाई 08 गट्टा व चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.01 बीघा अर्थात् 0.0081 हैक्टयर व खसरा संख्या 80 रकबा 0.8575 हैक्टेयर में से लम्बाई 37 गट्टा व चौड़ाई 03 गट्टा रकबा 0.05 बीघा अर्थात् 0.0405 हैक्टेयर की राशि–31800/–विप्रार्थी संख्या 2 से 3 को भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे [illegible] कलर ––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 3 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–31800/–अक्षरे इकतीस हजार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

/ 2024 / 2271

संलग्न नक्शा उक्त आदेश का

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested